

Daily Current Affairs

Date : 26 March, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026
2.	राजीविका - माइक्रोफाइनेंस एमओयू
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. जय कृष्ण जाजू 2. राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव-2026
4.	भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
5.	राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी)
6.	भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार
7.	प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026
8.	असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)
9.	लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला
10.	अनुसूचित जाति का दर्जा

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार के मख्यमंत्री ने हाल ही में राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लागू की है।
- यह नीति निवेश, रोजगार सृजन और हरित विकास पर केंद्रित है।

RAJASTHAN INDUSTRIAL PARK PROMOTION POLICY 2026



मुख्य बिन्दु:

- नीति का उद्देश्य: प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर राजस्थान को फ्यूचर-रेडी डेस्टिनेशन बनाना।
- नोडल एजेंसी: RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम)।

--2--

विशेषताएँ:-

■ चार विकास मॉडल-

1. पूर्णतः निजी विकास: निजी डेवलपर्स अपनी जमीन पर पार्क विकसित कर सकते हैं।
2. हाइब्रिड लैण्ड- शेयरिंग: जमीन और संसाधनों के साझाकरण की व्यवस्था। 80% भूमि डेवलपर व 20% रीको द्वारा उपलब्ध कराना।
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयास।
4. RIICO द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्ण निजी डेवलपर द्वारा विकास।

- पात्रता मानदंड: निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयाँ होना अनिवार्य है।

प्रोत्साहन एवं अनुदान:-

- प्रथम 10 पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना पर 20% पूँजीगत अनुदान।
- अधिकतम सीमा:- 100 एकड़ तक 20 करोड़, 100-250 एकड़ पर 30 करोड़, 250+ एकड़ पर 40 करोड़।
- सीईटीपी व्यय का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 12.5 करोड़/पार्क) से हरित विकास प्रोत्साहन।
- कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टॉप एवं कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट तथा प्लग-एंड-प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स-2024 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल किए गए हैं।

बुनियादी ढाँचा एवं विकास:-

- सरकार द्वारा पार्क तक जल विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना, निकटतम सड़क/संपर्क मार्ग निर्माण (60% राज्य, 40% डेवलपर द्वारा वहन, राज्य अंशदान अधिकतम ₹3 करोड़)।
- राज्य निवेश पोर्टल पर भूमि जानकारी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस से समयबद्ध निस्तारण।

राजीविका - माइक्रोफाइनेंस एमओयू

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद् एवं सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस जयपुर के मध्य तीन वर्षों के लिए एमओयू साइन हुआ है।



मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** राजीविका द्वारा प्रोत्साहित मॉडल कलस्टर लेवल फेडरेशन को सुदृढ़ करना तथा ग्रामीण समुदायों के फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>जय कृष्ण जाजू</p> <ul style="list-style-type: none">■ जय कृष्ण जाजू को 26 मार्च, 2026 से इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) राजस्थान राज्य परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।■ राजस्थान के घनश्याम दास बिड़ला की पहल पर 1925 ई. में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी।
2.	<p>राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव-2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव-2026 (जीसीसी) का जयपुर में आयोजन हुआ।■ इसका लक्ष्य 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा 1.5 लाख रोजगार सृजन करना व जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को जीसीसी हब के रूप में विकसित करना है।

CIVIL SERVICES



राष्ट्रीय परिदृश्य



भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की 10 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।



मुख्य बिन्दु:

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS):


- **स्थापना:** वर्तमान निकाय का गठन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत किया गया था।
- पूर्व में BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत कार्य करता था। यह 1947 में गठित भारतीय मानक संस्थान का संशोधित रूप था।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **पाँच क्षेत्रीय कार्यालय:** कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली।
- **प्रमुख कार्य:** मानकों का निर्धारण (जैसे- भारतीय मानक कोड), उत्पाद प्रमाणन {जैसे- गुणवत्ता आश्वासन के लिए (ISI) मार्क}, अनिवार्य पंजीकरण योजना {इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वस्तुओं के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण}।

--6--

राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी)

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के स्थान पर एक नए नियामक निकाय, राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी) की स्थापना की है।



मुख्य बिन्दु:

राष्ट्रीय दंत आयोग

- राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित।
- इसका उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा में नियामक सुधार लाना और किफायती मौखिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार करना है।

महत्त्वपूर्ण कार्यों

- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना
- दंत चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करना

Daily Current Affairs

Date : 26 March, 2026



- मानव संसाधनों का मूल्यांकन करें और दंत चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दें
- निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क विनियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना
- सामुदायिक दंत चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान और पेशेवर नैतिकता के लिए मानक निर्धारित करें।
- **संस्थागत संरचना:** इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन स्वायत्त बोर्डों का गठन किया गया है:
- **स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड:** दंत चिकित्सा शिक्षा की देखरेख के लिए
- **दंत मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड:** प्रत्यायन और संस्थागत मूल्यांकन को विनियमित करने के लिए
- **दंत चिकित्सा नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड:** दंत चिकित्सकों के पेशेवर आचरण और पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए।

--8--

आर्थिक घटनाक्रम

भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लगभग दो-तिहाई भरा हुआ है।



मुख्य बिन्दु:

- भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की वर्तमान क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है।
- पूरी क्षमता पर होने पर, यह भंडार भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति के लगभग 9.5 दिनों के लिए पर्याप्त है।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) क्या है?

- **परिचय:** ये कच्चे तेल के भंडार हैं। इन्हें आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है।
- ये तेल कंपनियों के पास सुरक्षित वाणिज्यिक भंडार के अतिरिक्त होते हैं।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के अंतर्गत। ISPRL की स्थापना 2004 में हुई थी।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।



- **वर्तमान में कच्चे तेल की भंडारण क्षमता:**
 - 1.33 MMT (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश)
 - 1.5 MMT (मंगलुरु, कर्नाटक)
 - 2.5 MMT (पादुर, कर्नाटक)
- **SPR-II के अंतर्गत कच्चे-तेल की निमिणाधीन भंडारण**
 - 4 MMT (चंडीखोल, ओडिशा)
 - 2.5 MMT (पादुर, कर्नाटक)

Daily Current Affairs

Date : 26 March, 2026



- **भंडारण तकनीक:** कच्चे तेल को भूमिगत चट्टानी गुफाओं में भंडारित किया जाता है। ये गुफाएँ जमीन के काफी नीचे, आमतौर पर तटीय क्षेत्रों के पास स्थित होती हैं।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** युद्ध, आपूर्ति में व्यवधान, समुद्री मार्ग के बाधित होने की दशा में देश में उपभोक्ताओं को तेल की आपूर्ति होती रहती है।
- **आर्थिक स्थिरता:** यह बाजार में तेल के मूल्य को स्थिर बनाए रखता है, जिससे अचानक मुद्रास्फीति के झटकों से बचने में मदद मिलती है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** विदेशी भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता कम करता है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **सीमित भंडारण क्षमता:** भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के मानक से काफी कम है। IEA के अनुसार 90 दिनों की मांग के बराबर तेल भंडार रखना होता है।
- **नीतिगत और संचालन संबंधी मुद्दे:** विशेष रूप से तेल के मूल्य में उतार-चढ़ाव के दौरान भंडार से तेल जारी करने के संबंध में स्पष्ट नीति का अभाव है।

-:11:-

प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' को अधिसूचित किया। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचित किया गया है।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD (PNGRB)



मुख्य बिन्दु:

इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पाइपड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार को सुगम बनाना,
- स्वच्छ ईंधनों के उपभोग को बढ़ावा देना,
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना,

--:12:--

- भारत के प्राकृतिक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने का समर्थन करना।
- **मुख्य सुधार:** समयबद्ध मंजूरियाँ, एकल समन्वित ढांचा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का विस्तार, आदि।

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था

- **लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा मिश्रण यानी ऊर्जा की मांग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक करना है।
- वर्ष 2025 में इसकी हिस्सेदारी केवल 6.2% थी।
- **मांग का अनुमान:** प्राकृतिक गैस की खपत वित्त-वर्ष 2025 की 52 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) से बढ़कर वित्त-वर्ष 2040 तक 112 MTPA से अधिक होने का अनुमान है।

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार:** जगदीशपुर-हल्दिया/बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (IGGL) की स्थापना।
- **किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (SATAT) योजना एवं CBG की अनिवार्यता:** यह योजना 2018 में शुरू की गई। इसके तहत उद्यमियों को अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन के लिए आमंत्रित किया गया।
- **समान प्रशुल्क (UFT) नीति:** यह नीति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा शुरू की गई, ताकि पूरे देश में दूरी-आधारित समान और न्यायसंगत प्रशुल्क संरचना बनाई जा सके।
- **अन्य उपाय:** इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) की शुरुआत, आदि।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)

चर्चा में क्यों?

- जनवरी-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2025 के परिणाम जारी किए गए हैं।



मुख्य बिन्दु:

ASUSE:

- संचालन:** केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा।
- उद्देश्य:** GDP अनुमान और राष्ट्रीय लेखा के लिए इनपुट प्रदान करना।
- कवरेज:** असंगठित गैर-कृषि क्षेत्रक, विनिर्माण, व्यापार और सेवाएँ।
- संकेतक:** रोजगार, सकल मूल्य वर्धित (GVA), मजदूरी, डिजिटल उपयोग आदि।
- महत्त्व:** यह MSMEs और अनौपचारिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था के लिए नीति निर्माण में सहायता करता है।

--:14:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।



मुख्य बिन्दु:

- उच्चतम न्यायालय ने बबीता पुनिया एवं अन्य मामले (2020) में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। साथ ही, उन्हें कमांड पोस्ट संभालने के लिए भी पात्र माना था।
- अल्प सेवा कमीशन (SSC) योजना के तहत अधिकारियों को शुरू में 10 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद बढ़ाकर इसे 14 वर्ष तक किया जा सकता है।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणी:

- प्रणालीगत भेदभाव:** स्थायी कमीशन से इनकार करना संस्थागत पूर्वाग्रह में निहित है। यह मूल्यांकन में संरचनात्मक असमानता को भी दर्शाता है।
- त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली:** वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) के मूल्यांकन की पद्धति और कट-ऑफ की समीक्षा की जानी चाहिए। यह भविष्य के बैचों के लिए आवश्यक है।


--:15:--

समाजशास्त्र

अनुसूचित जाति का दर्जा

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति का दर्जा संवैधानिक (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 के तहत केवल हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक ही सीमित है।



मुख्य बिन्दु:

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- अनुसूचित जाति का दर्जा खोना:** किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा तत्काल और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भले ही जन्म किसी भी जाति में हुआ हो।
- परस्पर अनन्यता:** कोई व्यक्ति एक साथ किसी अन्य धर्म का पालन करते हुए SC के दर्जे का दावा नहीं कर सकता है।
- अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा से अंतर:** ST का दर्जा धर्म पर आधारित नहीं है। यह जनजातीय पहचान की निरंतरता और सामुदायिक स्वीकृति पर निर्भर करता है।